पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02–10–2020

दिनांक 01/02–10–2020 को रात्रि थाना चौक 01, काकोरी 03, नाका 02 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 पश्चिमी

अभियुक्त गिरफ्तार।

ठाकुरगंजः–दिनांक 02–10–2020 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादी निवासी ठाकुरगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा थाना ठाकुरगंज पर अपनी 17 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 354/506 भादवि व धारा 07/08 पोस्को एक्ट का अभियोग बनाम 1–रामबाबू के विरुद्व पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री पंकज मिश्रा थाना ठाकुरगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 01–10–2020 को** एस0आई0 श्री पंकज मिश्रा थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त **1–रामबाबू पुत्र स्व0 विशम्भर निवासी ठाकुरगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ** को थाना क्षेत्र ठाकुरगंज से गिरफ्तार कर थाना ठाकुरगंज पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

बंथराः–दिनांक 02–10–2020 को थाना बंथरा द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती बबली यादव पत्नी प्रवीन कुमार निवासी ग्राम मौहारी पोस्ट आशाखेड़ा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ने थाना बंथरा पर सूचना दिया कि वादिनी के पति प्रवीन कुमार उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र हंसराम रेल विकास निगम लिमिटेड गोमतीनगर लखनऊ में काम करते थे। दिनांक 01–10–2020 को रोज की भांति वादिनी के पति प्रवीन कुमार साइकिल से वापस बनी मोहान रोड़ होते हुए वापस घर आ रहे थे, कि तभी समय करीब 08.30 बजे रात्रि लतीफ नगर चौराहा बंथरा क्षेत्र में सरकारी स्कूल के पास बनी की तरफ से चली आ रही कार नं0 यूपी 32 जेआर–5959 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर पीछे से वादिनी के पति की साइकिल में टक्कर मार दिया, जिससे वादिनी के पति प्रवीन कुमार गम्भीर रुप से घायल हो गये, और साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गयी, वादिनी के पति को गम्भीर अवस्था में सी0एच0सी0 नवाबगंज ले जाया गया, जहां पर डाक्टरो द्वारा वादिनी के पति प्रवीन कुमार उम्र करीब 36 वर्ष को मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना पर थाना बंथरा पर मु0अ0सं0 372/2020 धारा 279/304ए/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री अरुण कुमार 8423871764 द्वारा की जा रही है।

ठाकुरगंजः–दिनांक 02–10–2020 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री उदय प्रताप उर्फ पप्पू निवासी प्लाट नं0 30 आदर्श नगर नियर आइसा मस्जिद बरौरा बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 30/01–10–2020 की रात्रि को वादी अपने घर में सपरिवार सो रहा था, कि छत के रास्ते अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर में घुसकर कुछ जेवरात, 58,500/–रुपया नकद व मोबाइल फोन को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0 579/2020 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री अभिमन्यु सिंह मो0नं0 9454166627 द्वारा की जा रही है।**